

संशोधन।

संख्या: /XII(1)/18-82(05)/2017

प्रेषक,

जी0एन0पन्त,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पंचायतीराज अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक 15 जनवरी, 2018

विषय:-वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत प्रथम अनुपूरक मांग में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 40/XII(1)/18-82(05)/2017 दिनांक 12 जनवरी, 2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके प्रस्तर-1 (2) में अंकित शर्त/प्रतिबन्ध त्रुटिवश गलत अंकित हो गयी है, जो कि वास्तव में निम्नवत् है:-

2. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-19 के मुख्य लेखा शीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम के सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

2- उक्त के संबंध में शासनादेश संख्या: 40/XII(1)/18-82(05)/2017 दिनांक 12 जनवरी, 2018 के प्रस्तर-1 (2) में अंकित शर्त/प्रतिबन्ध में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 12.01.2018 की शर्त संख्या-02 को उपरोक्तानुसार पढ़ा जाय। शासनादेश की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,

(जी0एन0पन्त)
उप सचिव।

संख्या: 79 (1)/ XII(1)/18-82(05)/2017, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 3- वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
- 5- बजट एवं राजकोषीय संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
- 6- वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 8- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0), सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी0एन0पन्त)
उप सचिव।